

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत रैणी
पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 4/10/17

अनुवान-भगवान सहाय बनाम महेन्द्र कुमार वगैरा निवासी परबेणी तहसील रैणी।
ईजराय



02.05.2018:-आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रैणी पर पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 3523 दिनांक 06.09.2017 के द्वारा डिक्री की पालना की जा चुकी है, इसलिये प्रकरण मे आगे कार्यवाही अपेक्षित नही होने से कार्यवाही प्रकरण खत्म की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट रैणी तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत रैणी